निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :221/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. विनायक पुत्र वीरेन्द्र मीना जाति मीना नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सोहनी देवी पत्नी वीरेन्द्र निवासी ग्राम गुढावास फाल्यावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर सी–68 शिक्षा विहार, गली नम्बर 4, एसकेआईटी रोड, जगतपुरा जयपुर।,
2. सोहनी देवी पत्नी वीरेन्द्र मीना जाति मीना निवासी ग्राम गुढावास फाल्यावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर सी–68 शिक्षा विहार, गली नम्बर 4, एसकेआईटी रोड, जगतपुरा जयपुर।,

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विरेन्द्र मीना पुत्र स्व॰ श्री बद्रीनारायण मीणा निवासी ग्राम गुढावास फाल्यावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली ।
2. देवेन्द्र पुत्र स्व॰ श्री बद्रीनारायण जाति मीना निवासी प्लाट नम्बर 131/68, गोविन्द नगर, वाया महेशरा रोड, दौसा, जिला दौसा।
3. कमलेश पत्नी स्व॰ श्री बद्रीनारायण जाति मीणा निवासी प्लाट नम्बर 131/68, गोविन्द नगर, वाया महेशरा रोड, दौसा, जिला दौसा।
4. श्री शिवचरण शर्मा आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2022 एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022 ब उनवानी विनायक व अन्य बनाम विरेन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 27.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 76/2022 एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022 ब उनवानी विनायक व अन्य बनाम विरेन्द्र व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई हुई। अप्रार्थी संख्या 2, व 3 की ओर से वकील श्री रमेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 29.09.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में तारीख पेशी नियत थी तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जबाब दावा व जबाब टी आई पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये तो उसी दिन अप्रार्थी संख्या एक लगायत 3 के अधिवक्तागण द्वारा टी आई पर बहस सुन कर निर्णय करने पर जो डाला गया। दिनांक 29.09.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 10.10.2022 नियत की गई अप्रार्थी संख्या दो व तीन जो कि काफी धन बल भुजबल एवं ऊंची राजनैतिक पहुंचा वाले व्यक्ति है जो कि पैसे के बल पर अप्रार्थी संख्या चार से प्रार्थी के हक व अधिकारों का निर्धारण होने से पूर्व ही उक्त पत्रावली का अपने पक्ष में फैसला करवायेंगे। प्रार्थी ने यह भी चर्चा सुनी है कि अप्रार्थीगण पत्रावली में कानूनी प्रक्रिया को पूरा किये बिना ही पत्रावली में स्थगन आदेश खारिज करवा कर भूमि वाद ग्रस्त का बेचान दीगर व्यक्तियों को करेंगे । इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 से न्याय की आशा नहीं है। प्रार्थी ने कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन को रीडर से अकेले में चर्चा करते हुये देखा है एवं पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर चक्कर लगाते हुये देखा है एवं प्रार्थी को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत तीन के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन कानून की मंशा के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या चार से पत्रावली में निर्णय पारत करवा सकते है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या चार से न्याय की आशा नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 3 के अधिवक्ता का कथन है कि चूंकि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाये गये है, इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे तो कोई एतराज नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2022 एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022 ब उनवानी विनायक व अन्य बनाम विरेन्द्र व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 16.01.2023 अग्रिम सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक **27.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर